

8/4/21

वकील वादी उप०। वादी को प्रतिवादीगण की तलबी
शक्ति डाक सू.डी. पेश करने हेतु दिनांक 28/10/20
15/1/21 को अन्तिम अवसर दिये गये। इसके पश्चात
दि० 25/2/21 को वादी को प्रतिवादीगण की तलबी
शक्ति डाक सू.डी. तलबाना पेश करने हेतु न्यायाद्वारा
मे अन्तिम अवसर दिये गये लेकिन वादी ने प्रतिवादीगण
की तलबी शक्ति डाक सू.डी. तलबाना पेश नहीं किया।
अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 09 R05 CPC
तहत अदम तकमील (NON-compliance) में
स्पायिज किया जाता है। पञ्जावली नम्बर से कम
होकर बाद तकमील हाशिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
अलवर

